न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :- [illegible]

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- [illegible]

1. [illegible] पुत्री [illegible] जाति [illegible] निवासी [illegible] तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़

प्रार्थी

बनाम

1. जयप्रकाश सिंह पुत्र [illegible] जाति [illegible] निवासी [illegible] तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क)

उपस्थित अभिभाषकगण :-

1. श्री [illegible] प्रसाद शर्मा अधिवक्ता — प्रार्थी
2. श्री सुभाषचन्द्र शर्मा अधिवक्ता — अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक — 12.04.2024

प्रार्थीया [illegible] ने अप्रार्थी के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र [illegible] की सहायता से न्यायालय में पेश किया कि प्रार्थीया के नाम से चक नम्बर 3 एस. एस. एस. के खाता संख्या 8 / 7 में कुल 2.277 हैक्टर [illegible] तथा [illegible] चक के खाता संख्या 94 / 98 में कुल 1.012 हैक्टर में से प्रार्थीया का 675 / 1012 हिस्सा आराजी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रमाणित जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

अप्रार्थी संख्या 1 जयप्रकाश सिंह के नाम से चक नम्बर 3 एस.एस.एस. के खाता संख्या 31 / 33 में कुल 2.769 हैक्टर आराजी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रमाणित जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

अप्रार्थी संख्या 1 [illegible] की कृषि भूमि के [illegible] नम्बर 170 / 278(43) [illegible] नम्बर 1 / 3 में [illegible] है। प्रार्थीया द्वारा अपनी भूमि चक नम्बर 3 एस.एस.एस. के [illegible] नम्बर 31 में [illegible] हुआ है। प्रार्थीया [illegible] के [illegible] नम्बर 170 / 278(43) [illegible] है व [illegible] अपनी भूमि में आवागमन [illegible] आ रही है। [illegible] रही है। [illegible] राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नहीं है [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:18:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:18:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

[illegible] स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

प्रार्थी एवम् अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तहसीलदार (राजस्व) रिड़मी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) के अन्तर्गत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 [illegible] सिंह की कृषि भूमि चक नम्बर 3 एस.एम.एस. के मुरब्बा नम्बर 168/275(38) किल्ला नम्बर 25 के दक्षिणी–पूर्वी कोर्नर में 16½ फीट व 20 फुट लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता का अंकन करने के आदेश दिए जाते है। रास्ते में आई भूमि के बदले प्रार्थी की भूमि मुरब्बा नम्बर 170/278(40) किल्ला नम्बर 21 में से उतनी ही भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज की जाकर चक नम्बर 3 एस.एम.एस. के खाता संख्या 6/7 में से प्रार्थीया का [illegible] कम किये जाने के आदेश दिए जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.04.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:18:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner